

जूम एप्लीकेशन



के माध्यम से

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों
के समक्ष सुनवाई में शामिल होने की
सरल प्रक्रिया

(B) डेस्कटॉप / लैपटॉप उपयोगकर्ता हेतु



राजस्थान उच्च न्यायालय



माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा
अधिकृत वीसी प्लेटफार्म
जुम (Zoom Meeting)
के माध्यम से अधिवक्तागण एवं पक्षकार
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों
के समक्ष
सुनवाई में शामिल हो सकते हैं

आवश्यक साधन



- ✓ डेस्कटॉप/लैपटॉप
- ✓ समुचित इंटरनेट कनेक्शन
- ✓ न्यायालय की जुम मीटिंग ID अथवा VC लिंक

नोट: न्यायालय के निर्देशानुसार अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि, समय पर ही आप सुनवाई हेतु VC से जुड़ें

सम्बंधित न्यायालय का VC लिंक कैसे प्राप्त करें?

- जिले के समस्त न्यायालयों की VC लिंक जिला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

<https://districts.ecourts.gov.in/rajasthan>




- न्यायालयों द्वारा VC लिंक E-mail, SMS अथवा Whatsapp के माध्यम से भी शेयर की जाएगी
- मीटिंग आईडी एवं VC लिंक प्राप्त करने हेतु आप सम्बंधित न्यायालय के स्टाफ अथवा सिस्टम ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं



न्यायालय के नाम अथवा न्यायालय के नाम के आगे प्रदर्शित मीटिंग लिंक पर केवल क्लिक टैप करके आप VC में शामिल हो सकते हैं



प्रथम बार लॉगिन/VC लिंक पर टैप करने पर आपके वेब ब्राउज़र में आपको निम्न विकल्प दिखाई देगा। Open Zoom Meeting पर Click करके Zoom App को Open करे अथवा Browser में खोलने के लिए Lunch Meeting पर Click करे। :-



Click **Open Zoom Meetings** on the dialog shown by your browser

If you don't see a dialog, click **Launch Meeting** below

By clicking "Launch Meeting", you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Statement](#)



Don't have Zoom Client installed? [Download Now](#)



अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना विवरण (Display Name) सही-सही अंकित करें, उदाहरणार्थ :-



Zoom


Enter your name

Your Name

Remember my name for future meetings

By clicking "Join", you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Statement](#).

आप Join with Video विकल्प का चुनाव करें



Zoom ऍप इंटरफ़ेस

प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात् Join Now पर क्लिक करें, Sign In करने की आवश्यकता नहीं है, Zoom ऍप इंटरफ़ेस भी वेब ब्राउज़र इंटरफ़ेस के सामान ही है




Join होने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होंगी। आपको वीसी के दौरान अपने Mike Mute रखने है जब आप को बोलना हो तभी Mike को unmute करे।

The screenshot shows a Zoom meeting window. At the top, the title bar reads "Zoom Meeting" with standard window controls. Below the title bar, there is a small video thumbnail of a participant named "Shahnawaz Ali". The main area of the window displays a video call with a participant named "Sirchi DJ Court". The video shows a desk with a laptop and some papers. At the bottom of the window is a dark control bar. On the left side of this bar, there are two buttons: "Mute" (with a microphone icon) and "Stop Video" (with a video camera icon). These two buttons are enclosed in a red rectangular box, and a red arrow points to this box from the left. To the right of these buttons are other icons: "Participants" (with a group of people icon and the number "2"), "Chat", "Share Screen" (with a green screen icon), "Record", "Reactions" (with a smiley face icon), and "Apps". On the far right of the control bar, there is a red "Leave" button, which is circled in blue.

**वेब ब्राउज़र में पूछे जाने पर
Camera & Microphone
की permissions 'ALLOW' करना न भूलें**

महत्वपूर्ण टिप्स



- सर्वप्रथम लॉबी / वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करें, न्यायालय द्वारा एडमिट किये जाने पर आप सुनवाई में भाग ले सकेंगे, सुनवाई के दौरान हमेशा न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
- सभी प्रतिभागी कार्यवाही की गरिमा के अनुरूप **सोबर पोशाक** पहनें।
- न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर कार्यवाही की जाएगी। **समय की पाबंदी रखें**।
- प्रत्येक प्रतिभागी को समस्त **शिष्टाचार और प्रोटोकॉल** का पालन करना अनिवार्य होगा जैसे कि न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति के दौरान किया जाता है।
- हमेशा **माइक को म्यूट रखें**, केवल तब ही अनम्यूट करें जब आपको संबोधित करने की आवश्यकता हो, अपने **वीडियो को हमेशा ऑन रखें**।
- बेहतर ध्वनि अनुभव के लिए ईयरफोन-माइक का उपयोग करें।
- आपसे सम्बंधित प्रकरण की सुनवाई होने के पश्चात **Leave** करना न भूलें
- एक कक्ष में एक से अधिक व्यक्ति VC ज्वाइन न करें अन्यथा आवाज गूंजने लगेगी।
- Zoom Meeting के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत अन्य माध्यमों से भी VC में जुड़ सकते हैं।

धन्यवाद